

सामाजिक न्याय विभाग
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र
(ग्रामीण क्षेत्र के लिये)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत जिला (म0प्र0)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जिला (म0प्र0)

विषय :- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

-0-

भाग-अ

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. आवेदिका का नाम

2. आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम

3. आवेदिका की माता का नाम

4. निवास का पता

5. आवेदिका की जन्म तिथि .. दिनांक माह वर्ष

6. आवेदिका के विवाह के समय आयु

7. जाति/वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)

8. आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)

9. परिवार का बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक एवं दिनांक

10. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन :-

(1) योजना का नाम

आवेदिका पासपोर्ट साईज फोटो

(2) पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

11. बचत खाता :

बैंक का नाम : खाता क्रमांक
आईएफसी कोड

भाग-ब

12. वर का नाम

13. वर के पिता/अभिभावक का नाम

14. वर की माता का नाम

15. निवास का पता

16. वर की जन्म तिथि .. दिनांक माह वर्ष

17. विवाह के समय आयु

18. व्यवसाय एवं वार्षिक आय

19. बचत खाता :

बैंक का नाम : खाता क्रमांक
आईएफसी कोड

भाग-स


20. विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी –

(1) पूर्व पति का नाम

(2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक

(3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक

(4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता



अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान

दिनांक

आवेदिका के हस्ताक्षर

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान

दिनांक

कन्या के पिता/अभिभावक के

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :-

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये :-

1. आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
2. गरीबी रेखा/निराश्रित/जरूरतमंद/बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति.
3. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति.
4. कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो.
5. विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
6. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति.

9. परिवार का बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक एवं दिनांक

10. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन :-

(1) योजना का नाम

(2) पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

11. बचत खाता :

बैंक का नाम : खाता क्रमांक

आईएफसी कोड

भाग-ब

12. वर का नाम

13. वर के पिता/अभिभावक का नाम

14. वर की माता का नाम

15. निवास का पता

16 वर की जन्म तिथि दिनांक माह वर्ष


17. विवाह के समय आयु

18. व्यवसाय एवं वार्षिक आय

19. बचत खाता :

बैंक का नाम : खाता क्रमांक

आईएफसी कोड



भाग-स

20. विधवा/परित्यक्ता आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी -

(1) पूर्व पति का नाम

(2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक

(3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक

(4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान

दिनांक

आवेदिका के हस्ताक्षर

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्य निष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान

दिनांक

कन्या के पिता/अभिभावक के

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :-

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये :-

1. आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
2. गरीबी रेखा/निराश्रित/जरूरतमंद/ बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति.
3. श्रमिक संवर्ग की योजना के अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति.
4. कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो.
5. विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति.
6. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश वी छायाप्रति.